जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 248 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 12 जुलाई, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप, सोमवार को रूस के बारे में बड़ी नीतिगत घोषणा करेंगे?

प्राप्त संकेतों के अनुसार, ट्रंप, रूस के अब तक के व्यवहार से काफी क्षुब्ध हैं, और चर्चा है कि संभवतया यूक्रेन को पुनः हथियारों की सप्लाई शुरु करेगा अमेरिका तथा आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकता है रूस पर

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 11 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप सोमवार को रूस को लेकर एक बड़ा बयान देने वाले हैं।

मौजूदा संकेतों से यह प्रतीत होता है कि यह यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस के साथ ट्रंप के व्यवहार में एक बड़ा मोड़ आ सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति का रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संघर्ष समाधान को लेकर रुख अब बदल गया है।

पुतिन ने ट्रंप की शांति की पहल को बार-बार ठुकराया है। पहले ट्रंप इन इन्कारों को नज़रअंदाज़ करते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह रुख बदलते हुए अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की बात कही है। इसमें और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की संभावनाएं भी शामिल हो सकती हैं।

- अमेरिका, यूक्रेन को ''पेट्रिअट'' मिसाइल देना चाहता है, ''फ्री'' में नहीं, अतः, ये मिसाइल, नाटो के माध्यम से दी जायेंगी। इस तरह नाटो देश भी इन मिसाइलों का कुछ खर्च वहन करेंगे।
- अगर अमेरिका, यूक्रेन को सीधे ही हथियार देता है तो फिर रूस से सीधे बातचीत का सिलसिला टूटने की आशंका बनती है।
- दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन से बातचीत करते हुए, चीन ने भी रूस को पूरा समर्थन देने की बात दोहराई। चीन, रूस को यूक्रेन में हारने नहीं देना चाहता, क्योंकि चीन खुद ताइवान पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का इरादा रखता है।
- यूरोप, अब शायद अशांति ही देखेगा। जर्मनी ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय ले लिया है तथा इसकी तैयारी शुरु कर दी है। रूस ने भी पहली बार स्वीकार किया कि उसने नॉर्थ कोरिया से सैनिक बुलाये हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए।

अमेरिका पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि वह यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों की आपूर्ति फिर से शुरू करेगा। हालांकि, यह आपूर्ति सीधे नहीं बल्कि नाटो गठबंधन के माध्यम से की जाएगी।

अमेरिका ने कई पैट्रियट मिसाइलें नाटो सदस्य देशों को बेची हैं और विचार यह है कि इन मिसाइलों का कुछ हिस्सा पहला, यह कि तुरंत यूक्रेन भेजने के लिए पैट्रियट सिस्टम उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे पहले से ही अन्य स्थानों पर तैनात हैं। ये सिस्टम बहुत महंगे हैं और अमेरिका इन्हें मुफ्त में देने के मूड में नहीं है।

ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन को भेजे जा रहे सभी हथियारों का खर्च ''100 प्रतिशत'' अदा किया जाएगा। इसका अर्थ है कि इनका भार अकेले अमेरिका नहीं बल्कि पूरा नाटो गठबंधन उठाएगा।

दूसरा, अमेरिका अब भी रूस के साथ सीधे बातचीत कर युद्ध के समाधान का विकल्प खुला रखना चाहता है। सीधे हथियार भेजना इस राजनयिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, यदि बातचीत शुरू होती है, तो हथियारों की आपूर्ति को भी निलंबित करना होगा।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति अचानक रोक दी थी, जिससे एक प्रकार की अफरा-तफरी मच गई सीधे यूक्रेन भेजा जा सकता है, बजाय इसके कि अमेरिका से नई मिसाइलें भेजी जाएं। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, चार दुकानदार गिरफ्तार

खाटूश्यामजी, 11 जुलाई (निसं)। कस्बे में बाबा श्याम के दरबार में मध्यप्रदेश के आगर मालवा से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट के मामले को लेकर पुलिस ने चार दुकानदारों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, बरसात के चलते दर्शन मार्ग पर पानी भर गया था और श्रद्धालु एक दुकान के पास आश्रय लेने के लिए खड़े थे। इसी दौरान, दुकान

- दर्शन मार्ग पर बरसात का पानी भरने से मालवा से आये दर्शनार्थी दुकान पर खड़े हो गए। दुकानदारों ने कहासुनी होने के बाद, दर्शनार्थी महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के साथ मारपीट शुरु कर दी।

पर खड़े होने को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पुलिस ने इस मामले में मांगीलाल पुत्र नरसीराम माली निवासी चौमू, मेघराज योगी पुत्र सांवलराम योगी निवासी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पुरी रथ यात्रा में अफरा-तफरी इसलिए मची कि सरकार अडानी परिवार को रथ खींचने का मौका देना चाहती थी'

राहुल गांधी ने बिहार में दिये गये भाषण में भाजपा के उड़ीसा मॉडल में भारी कमियाँ गिनाईं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जुलाई। बरमुण्डा ग्राउंड में आयोजित संविधान बचाओ समावेश को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले जिस प्रकार महाराष्ट्र में चुनाव 'चुराया' गया, वैसे ही बिहार में चुनाव को चुराने की कोशिश की जा रही है।

महाराष्ट्र में कथित गड़बड़ी एवं हेराफेरी का हवाला देते हुए गांधी ने कहा, ''लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच एक करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए गए। किसी को नहीं पता कि ये मतदाता कौन हैं और कहां से आए हैं। हमने कई बार आयोग से मतदाता सूची और वीडियोग्राफी मांगी, लेकिन आयोग ने हमारी अपील पर ध्यान नहीं दिया।''

ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, ओडिशा में भाजपा सरकार का एकमात्र काम गरीबों की संपत्ति छीनना है। पहले बीजद सरकार ऐसा करती थी, अब भाजपा सरकार वही कर रही है।

- राहुल के अनुसार, उड़ीसा में विकास की दिशा केवल दो-तीन उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए तय की जाती है, गरीब मार्जिनलाइज़्ड वर्ग से पैसा खींच कर।
- राहुल ने यह भी कहा, कानून व्यवस्था के बारे में कि उड़ीसा में प्रतिदिन 15 बलात्कार होते हैं तथा चालीस हजार महिलाएँ लापता हैं और उनको ढूंढने के लिए कोई सुराग नहीं मिल रहा।
- पर, अजीबोगरीब बात यह है कि राहुल गांधी ने बिहार में उड़ीसा को इंगित करके इतना बड़ा भाषण क्यों दिया।

एक ओर गरीब और वंचित वर्ग हैं, तो दूसरी ओर पांच-छह अरबपति और भाजपा सरकार है।

पुरी रथ यात्रा के दौरान कथित कुप्रबंधन पर बोलते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने में जानबूझकर देरी की, ताकि उद्योगपति गौतम अडाणी का परिवार रथ खींच सके। उन्होंने आगे आरोप लगाया, ''यह है ओडिशा मॉडल ऑफ गवर्नेंस। विकास सिर्फ दो-तीन उद्योगपतियों के हितों को पूरा करने के मामले में किया जा रहा है, जबकि गरीबों, वंचितों और हाशिये पर पड़े लोगों की संपत्ति छीनी जा रही है।''

महिलाओं की ''बढ़ती असुरक्षा के वातावरण'' पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ''ओडिशा में हर दिन दुष्कर्म 15 मामले दर्ज होते हैं।'' उन्होंने दावा किया कि ''करीब 40,000 महिलाएं लंबे समय से लापता हैं और उनकी कोई खोज-खबर नहीं है।

भरतपुर में युवक ने थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या की

मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या कर फंदे से लटकाने का आरोप लगाया

भरतपुर, 11 जुलाई (निसं)। भरतपुर के उद्योग नगर थाने में शुक्रवार सुबह पुलिस कस्टडी में बंद एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था। वह पॉक्सो के मामले में तीन दिन से बंद बताया जा रहा है। आत्महत्या के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। परिजनों ने घटना पर जमकर विरोध जताया और प्रदर्शन किया।

मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और थाने के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग लगाकर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। शव को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव को शिफ्ट करने के दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की। परिजन थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस सुरक्षा में शव को अस्पताल पहुँचाया जा सका। वहाँ भारी संख्या में ग्रामीणों एवं परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया।

- मृतक गब्बर 8 जुलाई से,नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में पुलिस हिरासत में था। उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की पक्ष से पैसे खाकर पुलिस ने उसे थाने में बैठाये रखा।

युवक के बड़े भाई लोकेश उर्फ भोला (30) ने बताया कि उनका छोटा भाई गब्बर उर्फ बंटी (22) 8 जुलाई को 16 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया था। उसी दिन वह लड़की को अपने साथ लेकर घर आ गया। घर से वह लड़की को लेकर उद्योग नगर थाने में पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने गब्बर को थाने में बैठा लिया। 8 जुलाई से गब्बर थाने में ही हिरासत में था। आज सुबह दो पुलिसकर्मी घर आए। उन्होंने बताया कि गब्बर ने थाने के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। लोकेश का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने गब्बर को जान से मारकर फंदे से लटका दिया है। लड़की पक्ष ने पुलिसकर्मियों को पैसे दिए थे। इसलिए पुलिस ने गब्बर को थाने में बैठा रखा था। गब्बर हेयर कटिंग का काम करता था। उसके पिता पप्पू भी कटिंग का काम करते हैं। भाई लोकेश होटल में काम करता है।

एडिशनल एसपी सतीश यादव ने बताया कि पॉक्सो के मामले में आरोपी युवक ने शुक्रवार सुबह 6 बजे कंबल फाड़कर हवालात में लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के झटके

नई दिल्ली, 11 जुलाई। दिल्ली और गुरुग्राम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इससे एक दिन पहले भी दिल्ली-हरियाणा और यूपी में सुबह के वक्त भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इस

- रात 7.45 पर दिल्ली एनसीआर में 3.7 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र झज्जर था।

दौरान लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र ने बताया कि हरियाणा के झज्जर में आज रात करीब 7:49 बजे भारतीय समयानुसार रिक्टर पैमाने पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली-एनसीआर में भी इसके तेज झटके महसूस किए गए हैं। एक दिन पहले भी दो बार झज्जर की धरती ही भूकंप का मुख्य केन्द्र था।

''उदयपुर फाइल्स'' को रिलीज़ करना सोमवार तक रुका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जुलाई। ''उदयपुर फाइल्स'' फिल्म की रिलीज़ के दिन ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्ज़ी कन्हैयालाल साहू की हत्या के केस पर आधारित है। हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि बेहतर है केन्द्र सरकार से संपर्क कर फिल्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें।

सिब्बल ने सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणपत्र की समीक्षा की मांग की, यह तर्क दिया कि यह फिल्म सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक केन्द्र सरकार जमीयत की पुनरीक्षण याचिका पर कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक जारी रहेगी।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं, जिनमें फिल्म से जुड़े कुछ आरोपी भी शामिल हैं, को निर्देश दिया कि वे सैंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को दी गई प्रमाणिकता के खिलाफ केन्द्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करें।

जब तक केन्द्र सरकार इस याचिका पर कोई अंतरिम निर्णय नहीं लेती, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लागू रहेगी। फिल्म शुक्रवार को रिलीज़ होनी थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म को

- सुप्रीम कोर्ट ने जमीअत उल्मा-ए-हिन्द, जो फिल्म को रिलीज़ होने से रोकना चाहते थे, को कहा कि प्रसारण पर यह रोक इसलिए लगाई है कि संस्था, सरकार के समक्ष अपना केस प्रस्तुत कर सके तथा फिल्म निर्माता को प्रसारण के लिए जो सर्टिफिकेट दिया है, वह गलत है।

मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हालांकि हाईकोर्ट ने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत वैधानिक उपाय अपनाना चाहिए था। कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक धारा 6 के तहत पुनरीक्षण आवेदन करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी तीसरा पक्ष इस धारा के तहत पुनरीक्षण का अधिकार रखता है। दिल्ली हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा: ''चूंकि हम याचिकाकर्ता को वैधानिक उपाय अपनाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अंतरिम राहत की मांग करता है, तो उस पर निर्णय होने तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक रहेगी।''

कोर्ट ने कहा: ''याचिकाकर्ता ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय का सहारा नहीं लिया है, जो केंद्र सरकार को फिल्म को अप्रमाणित घोषित करने या अंतरिम उपाय के रूप में फिल्म की प्रदर्शनी को स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार, हम याचिकाकर्ता को सोमवार तक अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। यदि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत करता है, तो वह अंतरिम राहत के लिए भी प्रार्थना कर सकता है। जब याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करेगा, तो उसे एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा, और अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत फिल्म निर्माता को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि अंतरिम राहत की मांग की जाती है, तो उस पर भी विचार कर उचित निर्णय लिया जाए।''

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फिल्म मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप में दर्शाती है और एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को एक नाबालिग के साथ समलैंगिक गतिविधियों में शामिल दिखाया गया है। यह भी कहा गया कि फिल्म में नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान को भी शामिल किया गया है, जिससे फिल्म और अधिक सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बन जाती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपनी दलीलों के दौरान कहा: ''फिल्म की शुरुआत एक दृश्य से होती है, जिसमें मुस्लिम पुरुष हिंदू स्थल पर मांस का टुकड़ा फेंकते हैं और फिर एक दृश्य में मुस्लिम छात्रों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। इसका फिल्म से क्या संबंध है? या उस दर्जी की हत्या से क्या लेना-देना है? ये तो दिल्ली दंगे लगते हैं... कृपया खुद फिल्म देखें और निर्णय लें... ये देश के लिए सही नहीं है... और यह निश्चित रूप से कला नहीं है। यह तो सिनेमाई बर्बरता है।''

कपिल सिब्बल ने अपने तर्क में सुप्रीम कोर्ट के अमीश देवगन फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने 'हेट स्पीच' और 'फ्री स्पीच' के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। सिब्बल ने कहा: यह फिल्म नफरत और हिंसा से भरी हुई है। यह मुस्लिम समुदाय को समाज की सभी बुराइयों के प्रतीक के रूप में दर्शाती है। यह केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि एक समुदाय को निशाना बनाकर बनाई गई है।

राज्य सरकार भर्ती को लेकर दोहरे मापदंड नहीं अपना सकती : हाई कोर्ट

जयपुर, 11 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में कहा है कि राज्य सरकार भर्ती को लेकर दोहरा मापदंड नहीं अपना सकती। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि मामले की जांच चल रही है और अभी भर्ती रद्द करने का निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। वहीं, दूसरी ओर पेपर लीक में आरपीएससी सदस्य और कोचिंग माफिया की मिलीभगत मान रही है। एसओजी पहले कहती है कि भर्ती में दोषी और निर्दोष की पहचान मुश्किल है, लेकिन अब दोषियों को अलग छांटने की बात कही जा रही है। अदालत ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर एसआईटी के मुखिया वीके सिंह को बुलाकर जानकारी मांग सकते हैं। इसके साथ ही, अदालत ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई को रखी है।

- अदालत ने कहा, एसओजी ने पहले कहा, भर्ती में दोषी व निर्दोष की पहचान मुश्किल है, लेकिन अब दोषियों को अलग छांटने की बात कही जा रही है।

सुनवाई के दौरान, शुक्रवार को चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्यों को छुपाकर याचिका लगाई है और सिफारिशों के आधार पर भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्तर पर भर्ती रद्द नहीं करने के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मामले में एसओजी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीकानेर में डेढ़ घंटे की मूसलाधार वर्षा से सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा

पुराने शहर से तेज बहाव से आए पानी में के.ई.एम. रोड पर दुकानों का सामान बहा

बीकानेर, 11 जुलाई (कासं)। बीकानेर में शुक्रवार को मानसून की सबसे तेज बारिश हुई। डेढ़ घंटे तक बादल जमकर बरसे, जिससे सड़कों पर तीन-से चार फीट तक पानी भर गया और कई वाहन फंस गए। बारिश के पानी में गड्ढे से गुजरने के दौरान एक बोलेरो पलट गई।

पब्लिक पार्क, पुरानी गिन्नाणी का पानी भी सूरसागर में पहुंच गया। बड़ी संख्या में लोग सूरसागर और जूनागढ़ के बीच की सड़क पर पानी

- बड़ी संख्या में लोग सूर सागर व जूनागढ़ के बीच की सड़क पर पानी में फंस गए। जूनागढ़ के बाहर खाई में पानी भरा।

में फंस गए। दुपहिया वाहनों के पहिए पूरी तरह पानी में डूब गए। जूनागढ़ की खाई के चारों ओर बारिश का पानी भर गया।

कुछ मोहल्लों में दो से चार फीट तक पानी जमा हो गया। पुरानी गिन्नाणी में बारिश में पानी भरना आम समस्या है। यहां अधिकांश लोगों ने सड़क की सतह से ऊपर अपने घर बना लिये हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी घरों के अंदर घुस गया। सड़कें तालाब बन गईं। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से पानी तेज बहाव के साथ केईएम रोड पहुंच गया। बहाव इतना तेज था कि दुकानों का सामान भी पानी के साथ ही बह गया।

कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने सूरसागर में मरम्मत का काम शुरू किया था। तेज बारिश में पड़ा मरम्मत का सामान भी बह गया।

प्रशासन ने बताया, दोपहर दो बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो करीब डेढ़ घंटे चलता रहा। बीकानेर शहर के अलावा आसपास के गांवों में भी अच्छी बारिश हुई है। बीकानेर शहर पर दोपहर 12 बजे बाद से ही बादल घिरने लगे थे। दोपहर दो बजे से शुरु हुई बरसात साढ़े तीन बजे तक जारी रही।

समरावता उपद्रव प्रकरण में नरेश मीणा को जमानत मिली

जयपुर, 11 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा उप चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम के बीच हुई मारपीट के बाद, समरावता में हुए उपद्रव के मामले में नरेश मीणा को राहत दी है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने आरोपी नरेश मीणा की तीसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत में जमानत-मुचलके पेश होने के बाद मीणा जेल से बाहर आएगा। वह बीते 13 नवंबर से जेल में बंद है।

- देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम के साथ मारपीट व उपद्रव के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा 13 नवम्बर से जेल में बंद है।

याचिका में नरेश मीणा की ओर से अधिवक्ता फतेहराम मीणा ने कहा कि उसके खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के चलते केस दर्ज किया है। उपद्रव में उसका कोई हाथ नहीं है और उसकी उपद्रव में कोई सक्रिय भूमिका भी नहीं रही है। मामले में निचली अदालत में उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसके अलावा प्रकरण में 144 गवाहों के बयान होने हैं, जिसमें लंबा समय लगेगा। इसके अलावा प्रकरण से जुड़े सह आरोपियों को पूर्व में ही जमानत दी जा चुकी है।

जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नरेश मीणा ने ही लोगों को उपद्रव के लिए उकसाया था। उसके कहने पर ही वाहन जलाए गए व पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई। इस घटना में 27 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और 42 वाहन जले हैं। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)